न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली जिला टोंक (राज.)

(पीठासीन अधिकारी दुर्गा प्रसाद मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या :– 12/2013 निर्णय दिनांक :– 30.05.2024

उनवानी दावा :

मूलचन्द पुत्र स्व0 श्री कवरिया जाति धोबी उम्र 50 वर्ष निवासी दूनी तहसील देवली जिला टोक (राज)

–वादी–

बनाम

~~1. मंदिर श्री देवजी वाके देह खातेदार जरिये पुजारी माना पुत्र हस्ता बलाई निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक~~

1/1. मंदिर श्री देवजी वाके देह खातेदार जरिये पुजारी नाथू पुत्र खाना बलाई निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक

2. प्रबंधक टोंक जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि शाखा टोंक जिला टोंक हाज)
3. तहसीलदार तहसील देवली जिला टाँक (राज)
4. राजस्थान सरवन जरिए जिला कलेक्टर टोक (राज.)

–प्रतिवादीगण–

उपस्थिति :–
श्री प्रकाश चन्द जैन
श्री विरेन्द्र जैन
अधिवक्ता वादी

एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध
प्रतिवादी संख्या 1/1 व 2
पेरोकार सरकार

दावा उद्घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है वादी के पिता स्व. कवरिया पुत्र गेंदा जाति धोबी निवासी दूनी तहसील देवली जिला टोंक की खातेदारी व कब्जेकाश्त की साबिक आराजी ख. नं. 1 बीघा रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा ख. नं. 2 रकबा 8 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम दूनी तहसील देवली जिला टोंक में स्थित है। दौराने सेटलमेन्ट वादी के स्व. पिता की उक्त आराजी साबिका खसरा नम्बर 1 रकबा 5 बीघा 2 बिरवा, खसरा नम्बर 2 रकबा 8 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा वाले गाम दूनी के नये खसरा नम्बर 2 रकबा 0.99 है0, खसरा नम्बर 3 रकबा 0.71 है0 बने हैं। वादी के पिता कवरिया पुत्र गेंदा जाति धोबी की मृत्यु हो चुकी है। इस कारण स्व. कवरिया की खांतेदारी की भूमि का नामांन्तकरण वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में खुल चुका हैं। सेटलमेन्ट कर्मचारियो की गलती व लापरवाही के कारण सेटलमेन्ट कर्मचारियों ने वादी के पिता की उक्त खातेदारी में की भूमि में खसरा नम्बर 2 रकबा 0.99 है0 ही दर्ज कर दिये जो मौके पर लगभग 4 बीघा भूमि ही है। जबकि वादी के पिता के नाम 5 बीघा 10 भूमि थी। सेटलमेन्ट कर्मचारियों ने शेष आराजी खसरा नम्बर 3

रकबा 0.71 है0 में से 0.35 है0 भूमि को प्रतिवादी नं. 1 के नाम राजस्व रिकार्ड खातेदारी में दर्ज कर दी। जिसका कि उन्हें कोई वैधानिक एवं कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था। जबकि आज भी मौके पर वादी अपनी सम्पूर्ण भूमि पर काबिज–काश्त हैं बिना किसी बाधा के उपयो–उपभोग करता चला आ रहा है। उक्त आराजी हाल खसरा नम्बर 3 रकबा 0.71 है0 में से 0.35 है0 भूमि वादी की खातेदारी में नही होने के कारण प्रतिवादी नं. 1 वादी को उक्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा हैं। जबकि आज भी वादी उक्त भूमि पर काबिज–काश्त हैं तथा वादी के उपयोग–उपभोग में मजाहमत करता हैं। प्रतिवादी नं 1 ने अवैधानिक तरीके से वादी की उक्त खातेदारी की भूमि 0.35 है0 भूमि को प्रतिवादी नं. 2 के यहा रहन रखकर ऋण ले रखा है। न्यायहित में यह आवश्यक हैं कि आाराजी हाल खसरा नम्बर 3 रकबा 0.71 है0 में से 0.35 है0 भूमि को प्रतिवादी नं. 1 की खातेदारी से डिलीट किया जाकर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जावे एवं तद्नुसार उक्त भूमि 0.35 है0 को वादी की खातेदारी में दर्ज कर वादी को उक्त भूमि का खातेदार–काश्तकार घोषित किया जावे। हाल खसरा नम्बर 3 रकबा 0.71 है0 में से 0.35 है0 भूमि प्रतिवादी नं. 1 की खातेदारी में होने के कारण प्रतिवादी नं. 1 आये दिन वादी के कब्जे काश्त व उपयोग–उपभोग में मजाहमत करता है तथा लठ के जोर पर वादी को उक्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा हैं। इस कारण प्रतिवादी नं. 1 को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह स्वयं ज़रिए एजेन्ट नौकर–चाकर या अन्य किसी पारिवारिक सदस्यों को वादी की उक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी से वादी को बेदंखल नहीं कर वादी के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे । वादी के साथ लड़ाई झगडा नहीं करे तथा वादी की भूमि को कहीं भी रहन, दान, बेचान, वसियत नहीं करे तथा प्रतिवादी नं. 2 के ऋण को चुकता कर वादी की भूमि को रहन मुक्त करावे तथा पाबंद रहे। यदि प्रतिवादी नं. 1 को उक्तानुसार पाबंद नहीं किया गया तो वादी अपने जायज हक से महरूम हो जायेगा तथा मुकदमेबाजी बढेगी। जिससे वादी बर्बाद हो जायेगा। बिनाय दावा आज से 10 दिन पूर्व उस समय उत्पन्न हुआ वादी अपनी जमीन नकले प्राप्त की और उसमे भूमि कम पाई गई तथा बैंक का रहन दर्ज पाया गया तब से लगातार उत्पन्न हो रहा हैं जो निरन्तर जारी हैं। उक्त वाद में राज्य सरकार व उसका प्रतिनिधि प्रतिवादी नं. 3 व 4 को पक्षकार बनाया गया है। इसलिए अन्तर्गत धारा 80 सीपीसी के तहत दो माह

का नोटिस दिया जाना आवश्यक हैं। लेकिन मामला अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण यह वाद बिना नोटिस दिये ही प्रस्तुत है। दफा 80(2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अलग से पेश हैं। प्रतिवादी नं 2 को वाद में फोरमल पक्षकार बनाया गया है। उक्त आराजी एवं पक्षकारान श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में होने के कारण उक्त वाद का श्रवणाधिकारी माननीय न्यायालय को प्राप्त है।क उक्त वाद पन्त्र उचित कोर्ट फीस पर अंदर मियाद पेश हैं।

13. यह कि वादी की अधियाचनाएं हैं–

(अ) यह कि वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी नं. 1 बाबत दुरुस्ती इन्द्राज, उद्घोषणा खातेदारी डिग्री सादिर फरमाया जाकर हाल खसरा नम्बर 3 रकबा 0.71 है0 में से 0.35 है0 भूमि वाके ग्राम दूनी तहसील देवली जिला टोंक में स्थित हैं. में प्रतिवादी नं 1 की खातेदारी से डिलीट किया जाकर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जावे एवं तद्नुसार उक्त भूमि 0.35 है0 को वादी की खातेदारी में दर्ज कर वादी को उक्त भूमि का खातेदार–काश्तकार घोषित किया जावे।

(ब) यह कि प्रतिवादीगण नं. 1 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से सदा–सर्वदा के लिए पाबंध किया जावे कि वादी की आराजी हाल खसरा नम्बर ३ रकबा 0.71 है0 में से 0.35 है0 भूमि वाकेग्राम दूनी तहसील देवली जिला टोंक में स्थित है, वह स्वय जरिए एजेन्ट, नौकर–चाकर या अन्य किसी पारिवारिकसदस्यों से वादी की उक्त खातेदारी व कब्जे काश्त को आराजी से वादी को बेदखल नहीं करें वादी के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे। वादी के साथ लड़ाई–झगडा नहीं करे तथा वादी की भूमिको कहीं भी रहन, दान, बेचान, वसियत नहीं करे तथाप्रतिवादी नं. 2 के ऋण को चुकता कर वादी की भूमि कोर रहन मुक्त करावे तथा पाबंद रहे।

(स) यह कि अन्य सहायता जो वादी के हक में हो प्रदान की जावे तथा खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

प्रतिवादीगण संख्या 1/1 व 2 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 ने जवाब नही देकर कथन किया कि अपना पक्ष बरबस बहस के समय ही रखा जावेगा और पत्रावली को सीधे ही साक्ष्यवादी में नियत करने की प्रार्थना की।

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

वादी द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–1 वादी मूलचन्द पुत्र स्व. श्री कवरिया जाति धोबी के निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक के पेश किये। वादी ने प्रदर्श डलवाये जो इस प्रकार है:–प्रदर्श–1 जमाबन्दी संम्वत 2066–69, प्रदर्श–2 नकल मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2046–65, प्रदर्श–3 नकल जमाबन्दी संम्वत 2029–32 प्रदर्श–4 नक्शा ट्रेस मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2046–65, प्रदर्श–5नकल जमाबन्दी सम्वत 2066–69 प्रदर्श–6 नकल ट्रेस प्रदर्श–7 खसरा गिरदावरी सम्वत 2066–69 प्रदर्श–8 नकल जमाबंदी सम्वचत 2046–65 प्रदर्श–9 भू–प्रबन्ध विभाग का पर्चा पेश किये है।

वादी नें साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–2 घासीलाल पुत्र कल्याण जाति भील उम्र 58 वर्ष निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0 का पेश किया।

पेरोकार सरकार ने साक्ष्य नहीं करवाना जाहिर करने से पत्रावली सीधे ही बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद के तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि सेटलमेन्ट ने की आराजी को बिना किसी विधिक अधिकार के वादी की कुल भूमि 5 बीघा 10 बिस्वा भूमि के नये नम्बर ख. नं. 2 बनाते हुए रकबा 0.99 है0 ही रख दिया जबकि 5 बीघा 10 बिस्वा भूमि के है0 में परिवर्तन करने पर 1.35 होते है।इस तरह से वादी के पिता की 0.35 है0 भूमि कम लगायी गई और वादीकी 0. 35 है0 भूमि ख. नं. 3 रकबा 0.71 है0 बनाते हुए इसमे मिला दिया जो गलत है नियम संगत नहीं है। अतः 0.35 है0 भूमि को पुनः वादी की खातेदारी में दर्ज किया जावे। सेटलमेंट को रकबा कम–ज्यादा करने को कोई अधिकार नहीं था जबकि सेटलमेन्ट कर्मचारियों को पुरानी प्रविष्टियों को दर्ज करनी चाहिए थी। मौके पर कब्जा वादी का है। अतः वादी का वाद डिक्री किया जावे।

पेरोकार सरकार का कथन रहा कि भूमि वर्तमान में मन्दिर श्री देव जी वाके देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है और मन्दिर माफी की भूमि में खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। वाद वादी खारिज योग्य है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादी व पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज प्रदर्श–3 नकल जमाबन्दी संम्वत 2029–32 में कवरिया पुत्र गेन्दा जाति धोबी सा0 देह खातेदार के ख. नं. 1 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा व ख. नं. 2 रकबा 8 बिस्वा दर्ज है। प्रदर्श–9 भू–प्रबन्ध विभाग का खसरा पत्रक के अनुसार साबिक ख. नं. 1 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा से हाल ख. नं. 2 रकबा 0.99 है0 बनना दर्शित है तथा इसी खसरा पत्रक में साबिक ख. नं. 2/1 रकबा 18 बिस्वा सा. ख. नं. 3 रकबा 3 बिस्वा, सा. ख. नं. 4 रकबा 2 बीघा से हाल ख. नं. 3 रकबा 0.71 है0 बनना दर्शित है। प्रदर्श–2 व 4 नकल मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2046–65 के अनुसार साबिक ख. नं. 1 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा से हाल ख. नं. 2 रकबा 0.99 है0 व साबिक ख. नं. 2/1 रकबा 18 बिस्वा, साबिक ख. नं. 3 रकबा 3 बिस्वा एवं साबिक ख. नं. 4 रकबा 2 बीघा से हाल ख. नं. 3 रकबा 0.71 है0 बनना दर्शित है। प्रदर्श–5 नकल जमाबन्दी सम्वत 2066–69 व प्रदर्श–7 गिरदावरी खसरा सम्वत 2066–69 से हाल ख. नं. 2 रकबा 0.99 है0 वादी की खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड दर्शित है।

उक्त प्रदर्शो का विवेचन करने यह स्पष्ट होता है कि वादी का साबिक ख. नं. 2 रकबा 8 बिस्वा का है जबकि मिलान क्षैत्रफल 2/1 का पेश किया जिसका रकबा 18 बिस्वा है। अतः साबिक खसरा नम्बरो का रिकॉर्ड व रकबे से मिलान नहीं हो रहा है। मिलान क्षैत्रफल व खसरा पत्रक के अनुसार साबिक ख. नं. 1 से हाल ख. नं. 2 रकबा 0.99 है0 ही बन रहा है, जबकि बनना 1.27 है0 चाहिए था। साबिक ख. नं. 1 का शेष रकबा 0.28 है0 व ख. नं. 2/1 से शेष रकबा 0.07 है0 कुल रकबा 0.35 है0 को वादी हाल ख. नं. 3 रकबा 0.71 है0 मे मिलना बता रहा है, जिसको स्पष्ट दस्तावेजी साक्ष्यो से सिद्ध नहीं कर पा रहा है कि, यह शेष रकबा हाल ख. नं. 3 रकबा 0.71 है0 में ही मिलाया गया है क्योंकि साबिक नक्शा शीट के उपर हाल नक्शा शीट को इम्पोज करने पर भी साबिक सीट के ख. नं. 1 की सीमाएं हाल सीट के ख. नं 3 में दर्शित नही हो रही है। हाल ख. नं. 3 रकबा 0.71 है0, साबिक ख. नं. 2/1 रकबा 18 बिस्वा, साबिक ख. नं. 3 रकबा 3 बिस्वा व साबिक ख. नं. 4 रकबा 2 बीघा को मिलाकर बनाया है जिसका कुल है0 में क्षैत्रफल 0.76 है0 होता है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में हाल ख. नं. 3 का रकबा 0.71 है0 ही है। अर्थात हाल ख. नं. 3 का रकबा ही लगभग 5 एअर कम है तो यह तो

प्रश्न ही नहीं उठता है कि वादी का शेष रकबा हाल ख. नं. 3 में मिलाया गया हो और वादी ने ऐसा कोई दस्तावेज से यह साबित नहीं किया है कि हाल ख. नं. 3 में कही वादी का कब्जाकाश्त चला आ रहा है। अतः वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यो से वाद को साबित नहीं करने के कारण वाद वादी खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

ा 12/2023 उनवान मूलचन्द बनाम मंदिर श्री देव जी वगै.
दिनांक 30.05.2024

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी..मुकाम देवली
व अलजाम श्री दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टो...

उनवानी दावा :

मूलचन्द पुत्र स्व0 श्री कवरिया जाति धोबी उम्र 50 वर्ष निवासी दूनी तहसील देवली जिला टोक (राज) —वादी—

बनाम

~~1. मंदिर श्री देवजी वाके देह खातेदार जरिये पुजारी माना पुत्र हरला बलाई निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक~~

1/1. मंदिर श्री देवजी वाके देह खातेदार जरिये पुजारी नाथू पुत्र खाना बलाई निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक

2. प्रबंधक टोंक जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि शाखा टोंक जिला टोंक हाज)
3. तहसीलदार तहसील देवली जिला टाँक (राज)
4. राजस्थान सरवन जरिए जिला कलेक्टर टोक (राज.)

—प्रतिवादीगण—

<u>दावा उद्घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा</u>

मुकदमा नं. 12 सन् 2013

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री प्रकाश चन्द जैन अधिवक्ता वादीगण मिनजामिन मुददई रूबरू पेरोकार सरकार मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है कि

आदेश

वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यो से वाद को साबित नहीं करने के कारण वाद वादी खारिज किया जाता है।

निजी..मुवलिक..वावत् ....

खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक .. .. की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 30 माह 05 सन् 2024 को जारी किया गया।

दस्तख्त ....
ओहदा ....
30/5/24
उपखण्ड अधिकारी
देवली (टोंक)

मुहर

मुददई	रू.	पै.	मुददायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :— इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर टी फरीकैन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए